इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय
Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya
कृषि विज्ञान केन्द्र, जगदलपुर, बस्तर (छ.ग.)
Krishi Vigyan Kendra, Jagdalpur, Bastar (C.G.)

Phone: 07782-229153, 229545, **Website:** www.kvkbastar.org, **Email:** kvk_jagdalpur1@rediffmail.com

Healthy Soils for a Healthy Life

No./SS&H/KVK/2024-25/ **Jagdalpur, Dated:**

//आदेश//

चयन समिति की अनुशंसा एवं अनुमोदन उपरांत निम्नलिखित अभ्यर्थी को कार्यक्रम सहायक (पौध रोग विज्ञान) के पद पर संविदा के माध्यम से निश्चित वेतन (रु. 32675.00 प्रतिमाह) पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष अथवा परियोजना अवधि अथवा पद पर नियमित नियुक्ति (चयन या पदोन्नति द्वारा पदस्थापना) जो भी पहले हो तक उनके नाम के सम्मुख दर्शित (कालॅम नं. 04) पदस्थापना स्थल पर, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम व पता	श्रेणी	पदस्थापना स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
01	डॉ0 विजय कुमार कश्यप, **पिता** श्री शंकर प्रसाद कश्यप, ग्राम पो0 पतगवां, तह0 पेन्ड्रा, जिला गौरेला पेन्ड्रा मरवाही पिनकोड 495119	सामान्य	कृषि विज्ञान केन्द्र,बस्तर

संविदा नियुक्ति की शर्तें: –

1. अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर कर्तव्य पर मूल प्रमाण पत्रों (शैक्षणिक योग्यता, जाति एवं मूल निवास प्रमाण–पत्र) के साथ उपस्थित होना होगा अन्यथा आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में संलग्न किए गए कोई भी प्रमाण–पत्र/दस्तावेज़ तथा दी गई जानकारी भविष्य में यदि असत्य पाई जाती है, तो नियुक्ति बिना कारण बताए निरस्त कर दी जावेगी।
3. उभय पक्षों द्वारा किसी भी समय एक माह का सूचना देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन–भत्ता/भुगतान जमा करना होगा।
4. अभ्यर्थी को कर्तव्य पर उपस्थिति के समय इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, के चिकित्सा अधिकारी अथवा जिला सिविल सर्जन से शारीरिक क्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। शारीरिक क्षमता प्रमाण–पत्र में शारीरिक रूप से अयोग्य पाये जाने पर संबन्धित की सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।
5. आरक्षित पद पर नियुक्त अभ्यर्थी से शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ–पत्र भराया जावेगा। संबन्धित अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र गलत अथवा कपटपूर्ण अभिप्राप्त करने की बात प्रमाणित होने पर नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जावेगी एवं संबन्धित को प्रदत्त लाभ व सुविधाओं पर व्यय की गयी राशि वसूल की जाएगी तथा अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रवृत्त कानूनों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
6. संबन्धित अभ्यर्थी का पुलिस अधीक्षक कार्यालय से चरित्र सत्यापन कराया जावेगा। चरित्र सत्यापन में पुलिस प्रशासन द्वारा संबन्धित के विरुद्ध कोई प्रतिकूल टीप पाये जाने पर नियुक्ति आदेश तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।
7. अभ्यर्थी को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ लेनी होगी।
8. अभ्यर्थी को कर्तव्य पर उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

9. संविदा नियुक्ति प्रथमतः 01 वर्ष अथवा परियोजना अवधि अथवा पद पर नियमित नियुक्ति (चयन या पदोन्नति द्वारा पदस्थापना) जो भी पहले हो के लिए की जावेगी। पद नियमित रूप से न भरने की स्थिति में विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति से संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए पृथक से नियुक्ति प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी स्थिति में संविदा नियुक्ति 03 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं की जावेगी।
10. संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी नियमितिकरण के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं करेगा ना ही उस पद के विरुद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता / छूट दी जावेगी।
11. छ.ग. शासन के नियमानुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 01 केलेण्डर वर्ष में 30 दिवस का आकस्मिक एवं 03 दिवस का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी।
12. संविदा पर निश्चित वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते देय नहीं होंगे, किन्तु संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को उस पद हेतु निर्धारित टी.ए. / डी.ए. प्राप्त होगा। यदि राज्य शासन / राज्य शासन के मण्डल / निगम / आयोग / विश्वविद्यालय / प्राधिकरण / आदि से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, तो उन्हें छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार वेतन का भुगतान किया जावेगा। संविदा पर कार्यरत् कर्मचारी का वेतन परियोजना / कृषि विज्ञान केंद्र में रिक्त नियमित पद / तदर्थ पद के विरुद्ध आहरित होगा।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र, बस्तर

No./SS&H/KVK/2024-25/ 780 **Jagdalpur, Dated:** 10/12/2024

प्रतिलिपि: –

1. निदेशक, अटारी, जोन–IX, जबलपुर (म.प्र.) को सादर सूचनार्थ।
2. कुलसचिव, इं.गां. कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. लेखा नियंत्रक, इं.गां.कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
4. मान. कुलपति जी के निज सहायक, इं.गां.कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
5. निदेशक विस्तार सेवाएं, इं.गां.कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
6. कृषि विज्ञान केंद्र, बस्तर के सूचना पटल में अवलोकनार्थ।
7. सर्वर प्रभारी MIS, इं.गां.कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
8. स्थापना / लेखा शाखा, कृ.वि.के., बस्तर को सादर सूचनार्थ।
9. संबन्धित श्री.. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र, बस्तर